



## अनुसंशा

ट्रेक्टर क्रय हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं निरीक्षण किया गया। भू-अभिलेख के अनुसार कृषक/लघु/सीमांत/दीर्घ/श्रेणी तथा जाति वर्ग/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/सामान्य के अंतर्गत आता है, मेरी जानकारी में आवेदक/सहखातेदार के नाम उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्यत्र कहीं जमीन नहीं है। अतः शासन के प्रचलित नियमानुसार प्रकरण अनुदान हेतु पंजीबद्ध करने की अनुसंशा की जाती है।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी  
क्षेत्र - .....

सहा. परि. अधि./व.कृ.वि.अ.  
वि.खं. ....

उपर्युक्त अभिमत से सहमत हूँ तथा अनुदान हेतु प्रकरण पंजीबद्ध करने की अनुसंशा की जाती है।

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री ..... वल्द  
..... ग्राम ..... विकासखंड ..... प्रथम बार  
ट्रेक्टर क्रय कर रहा है, इनके पूर्व अथवा वर्तमान में इनके द्वारा अथवा इनके परिवार में किसी भी अन्य सदस्य के नाम ट्रेक्टर नहीं था।

सहा. परि. अधि./व.कृ.वि.अ.  
वि.खं. ....

## ग्राम पंचायत की अनुसंशा

कृषि विभाग की अनुदान पर ट्रेक्टर प्रदाय योजना के तहत प्रथम आवें प्रथम पावे के अनुसार कृषक श्री/श्रीमति ..... पिता श्री ..... जाति .....  
..... ग्राम ..... प.ह.नं. .... तहसील ..... जिला .....  
..... के द्वारा अनुदान पर ..... ट्रेक्टर क्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, ग्राम पंचायत ..... को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक :

हस्ता./-  
ग्राम पंचायत .....

## जनपद पंचायत की अनुसंशा

कृषि विभाग की अनुदान पर ट्रेक्टर प्रदाय योजना के तहत प्रथम आवें प्रथम पावें के अनुसार कृषक श्री/श्रीमति ..... पिता श्री ..... जाति .....  
..... ग्राम ..... प.ह.नं. .... रा.नि.मं. ....  
तहसील ..... जिला ..... द्वारा अनुदान ट्रेक्टर क्रय करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचारोंपरांत अनुदान स्वीकृत किए जाने की अनुसंशा की जाती है।

दिनांक :

अध्यक्ष  
कृषि स्थाई समिति  
जनपद पंचायत .....

## शपथ पत्र

मैं/हम ..... ग्राम .....  
 विकासखंड ..... जिला ..... के द्वारा शासन से केन्द्रीय क्षेत्रीय  
 योजना अंतर्गत ट्रेक्टर क्रय करने के लिये रूपये ..... का अनुदान कर ट्रेक्टर  
 (मेक) ..... कृषि कार्य के लिये प्राप्त किया है।

मैं/हम ..... वल्द .....  
 ..... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं/करती हूँ कि इस प्रकार अनुदान पर प्राप्त  
 ट्रेक्टर को मैं कृषि कार्य के लिये उपयोग करूंगा/करेंगे/करूंगी। इस ट्रेक्टर को अन्य को  
 बेचता/बेचते/बेचती हूँ या हस्तांतरित करता/करते/करती हूँ तो अनुदान की राशि मय 12.5 प्रतिशत के  
 ब्याज सहित शासन को वापस करने को बाध्य रहूंगा/रहेंगे/रहूंगी यदि धनराशि वापस नहीं की जाती है तो  
 सम्पूर्ण भू-राजस्व को बकाया बतौर वसूल की जा सकेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित

(कृषक)

उप संचालक कृषि

जिला - .....

(छ.ग.)